न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या 5/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी,पंचायत समिति सायला,जिला जालोर		1.पेकाराम पुत्र रामाजी,जाति मेघवाल, निवासी साफाडा,तहसील व जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत साफाडा जरिये सरपंच, साफाडा,तहसील व जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–
1.श्री प्रवीणसोलंकी, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2.श्री प्रवीण कुमार भादरू, अभिभाषक,अप्रार्थी सं.1की ओर से।
3.अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 24.6.2019

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत साफाडा द्वारा दिनांक 5.12.2001 को एक पट्टा क्रमांक 14 राज.पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157''ख'' को आधार बनाकर अप्रार्थी सं.1 पेकाराम पुत्र रामाजी,जाति मेघवाल, निवासी सांफाडा ,तहसील व जिला जालोर को जारी किया जिसके उतर में–रास्ता व ओखा पुत्र धन्ना मेघवाल ,भुजा 48 फीट, दक्षिण में–पहाडी, भुजा 48 फीट, पूर्व में–रास्ता, भुजा 66 फीट, पश्चिम में–भोमाराम पुत्र राजाजी मेघवाल, भुजा 66 फीट कुल क्षैत्रफल 3168 वर्गफीट है। उक्त पट्टा शून्य है क्योंकि उक्त भूमि पुश्तैनी कब्जासुद भूमि नही है तथा न ही उक्त कब्जा सुदा भूमि पर पुराने गृह बने हुए है।राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)में पुश्तैनी आवासीय ग्रहो का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है जबकि उक्त भूमि खसरा नम्बर 554 रमबा 17.63 हेक्टर,किस्म गैर मुमकिन पहाडी की भूमि में से है,जिसकी जांच तहसीलदार जालोर द्वारा सतर्कता प्रकरण सं. 9/2016 के संदर्भ में की गई ,जिसमें उक्त पट्टे की भूमि गैर मुमकिन पहाडी होना पाया गया इसलिए जारी किया गया पट्टा प्रारम्भ से शून्य है।

24/6/19
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

प्रार्थी को पट्टे की जानकारी होने पर इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थी सं.2 –ग्राम पंचायत साफाडा से मांगी जो दिनांक 4.1.2017 को नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति की तारीख से निगरानी अन्दर म्याद है तथापि निगरानी में हुई देरी को समायोजन करने हेतु प्रार्थी द्वारा अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र पेश किया है। अतः ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी पट्टा सं. 154दिनांक 19.10.2001 को निरस्त कराने का आदेश करावे। प्रार्थी ने निगरानी के साथ पट्टे की प्रमाणित प्रति आदि नकले पेश की , इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. प्रार्थी के निगरानी प्रार्थनापत्र का अप्रार्थी सं.1 की ओर से जवाब पेश किया कि अप्रार्थी पेकाराम के पिता का नाम राजाजी है, उक्त निगरानी में रामाजी गलत तरीके से लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत साफाडा में अप्रार्थी सं.1ने पट्टा बनाने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जो मिसल सं.5 दिनांक 5.8. 2001 है, प्रार्थनापत्र पेश करने के बाद ग्राम पंचायत की ओर से मौका निरीक्षण हेतु बैठक में पंच श्री जेतसिंह ,मांगाराम , बाबूलाल मेघवाल को नियुक्त किया गया एवं उक्त पत्रावली दिनांक 20.8.2001 को बैठक में रखी गई। दिनांक 20.8.2001 को उक्त पंचो द्वारा ग्राम पंचायत में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं एक माह में आपत्ति इश्तिहार जारी करने का प्रस्ताव लिया गया एवं पत्रावली एक माह बाद दिनांक 19.10.2001को पेश हुई । इश्तिहार आपत्ति की समयावधि व्यतीत होने के बावजूद विक्रय विलेख के सबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 19.10.2001 को मिसल सं. 5 के जरिये पट्टा सं. 14दिनांक 5.12.2001 को विधिवत् जारी किया गया है। उक्त पट्टा के तहत् अप्रार्थी सं.1 ने ग्राम पंचायत में 100/–रूपये पंचायत कोष में जमा करवाने के बाद उक्त पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सं.1 का उक्त भूमि पर पुश्तैनी कब्जा है तथा उक्त भूमि पर पुराने समय से घर बने हुए है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 में पुश्तैनी कब्जा बाबत् विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। अप्रार्थी सं.1 उक्त पात्रता रखने के कारण तथा पुराने कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 555,556 व 557 तथा इसके पुराने खसरा नम्बर 266/1 है तथा उक्त भूमि 7 बीघा थी ,उक्त भूमि खसरा नम्बर 266/1 गैर मुमकिन ओरण थी, को गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तन करने के आदेश हुए, उक्त आदेश श्रीमान् जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट,जालोर के आदेश कमांक एफ. 12(3)(19)राज./81/3937 दिनांक 30.10.1981 गैर मुमकिन ओरण को गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की थी। प्रार्थी द्वारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

उक्त प्रार्थनापत्र में उक्त पट्टे की भूमि गैर मुमकिन पहाडी होना गलत बताया गया है। उक्त पट्टे के दक्षिण दिशा में पहाडी आई हुई है, पहाडी के पास उक्त भूमि आई हुई है जिसमें अप्रार्थी का पुराना कब्जा होने के आधार पर ग्राम पंचायत साफाडा द्वारा सही तरीके से पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी प्रार्थी को पट्टा जारी होने के बाद से ही थी क्योंकि पट्टा जारी होने की एक प्रति विकास अधिकारी के पास जाती है,उनके द्वारा पट्टे की जानकारी दिनांक 4.1.2017 को होना गलत तरीके से बताई है। **विशेष आपत्ति** में प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे की भूमि पहाडी होना बताया है जिसके खसरा नम्बर 554 रकबा 17.63 हेक्टर गैर मुमकिन पहाडी बताया है जिसके पुराने खसरा नम्बर 226 मी. है जबकि उक्त पट्टे वाली भूमि के नये खसरा नम्बर 555,556 व 557 है तथा इसके पुराने खसरा नम्बर 266 / 1 है तथा रकबा 7 बीघा है। पुराने खसरा नम्बर 266 / 1 की भूमि गैर मुमकिन ओरण थी जिसको गैर मुमकिन ओरण से गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तन हुई थी। भीमाराम पुत्र पनाजी मेघवाल निवासी साफाडा ने एक शिकायत जिला कलेक्टर(सतर्कता) में की गई थी जिसमें उक्त पट्टा पहाडी क्षैत्र का बताया था तथा खसरा नम्बर 554 में बनने का बताया था, पटवारी हल्का साफाडा द्वारा दिनांक 19.7.2018को जांच रिपोर्ट में बताया कि उक्त पट्टे ,गत खसरा नम्बर 266 / 1किस्म गैर मुमकिन ओरण को जिला कलेक्टर के आदेश से आबादी में आवंटन होने पर ग्राम पंचायत साफाडा द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे आवंटित किये थे जिसमें भीमाराम को 30 गुणा 45फीट का भूखण्ड आवंटित हुआ था,भीमाराम के प्लॉट के पास रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया एवं शौचालय का निर्माण कर रास्ता अवरूद्ध किया गया तथा रास्ते पर बांड बनाकर आवागमन को रोक दिया था । अप्रार्थी सं. 1 ने उक्त रास्ते पर अवैध निर्माण हटाने बाबत् शिकायत की थी,जिससे अदावदी के कारण भीमाराम ने अप्रार्थी सं.1 एवं भोमाराम के पट्टे पहाडी क्षैत्र में होना बताकर गलत शिकायत की गई थी एवं विकास अधिकारी सायला को शिकायत मिलने के बाद बिना जांच किये उक्त निगरानी प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने का आदेश करावे।

3. प्रार्थी के धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के खण्डन में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब,शपथपत्र पेश नही किया जाने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

4. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के वकील ने अपने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि सरपंच,ग्राम पंचायत साफाडा द्वारा अप्रार्थी सं.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

1 को खसरा नम्बर 554 रकबा 17.63 हेक्टर में से पहाडी भूमि पर पट्टा जारी किया गया है, पट्टे पर कोई खसरा नम्बर अंकित नही है,ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है,अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 के हक में जारी पट्टा सं. 14 दिनांक 19.10.2001 को खारिज करावे । इसके विपरीत अप्रार्थी सं.1 के अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि उक्त पट्टे वाली भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 555,556 व 557 तथा पुराने खसरा नम्बर 266/1है ,जो भूमि गैर मुमकिन ओरण थी, गैर मुमकिन ओरण से गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तित हुई थी, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये है,करीब 17 साल बाद प्रार्थी ने यह निगरानी पेश की है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र खारिज करावे।

5. बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत साफाडा की मिसल सं.5/2001 का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत साफाडा को दिनांक 5.8.2001 को पेकाराम ने विवादग्रस्त भूखण्ड का विक्रय विलेख हेतु प्रार्थनापत्र सरपंच, ग्राम पंचायत साफाडा का संलग्न पत्रावली है। मिसल अनुसार पेकाराम का दिनांक 5.8.2001को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर मिसल कायम कर मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंच श्री जेतसिंह,मांगाराम व बाबूलाल मेघवाल नियुक्त किये तथा आज्ञाओ की सूची में यह अंकित किया गया है कि मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर मिसल बैठक में पेश हो। बैठक दिनांक 20.8.01 को तीन वार्ड पंचो की मौका निरीक्षण पेश होने पर एक माह में आपत्ति इश्तिहार का निर्णय लिया गया है,दिनांक 19.10.01 को मिसल बैठक में पेश हुई,कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर प्रस्ताव सं.5 के अनुसार पेकाराम को नियम 157(क)के तहत् 100/—रू. जमा कर नक्शा अनुसार विक्रय विलेख जारी किया गया। मौका स्थल रिपोर्ट पर तारीख अंकित नही है कि ग्राम पंचायत के वार्ड पंचो द्वारा उक्त रिपोर्ट कब पेश की। मिसल में अंकित आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस चस्पा किया जाना बताया है ,कहां पर चस्पा किया गया अंकित नही है।ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड व विक्रय स्थल पर दो व्यक्तियों के रूबरू चस्पा करने को कोई विवरण अंकित नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के अन्तर्गत आबादी भूमि क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ स्थल निरीक्षण हेतु 25/—रू. की राशि जमा करवाना एवं आवेदन पत्र के साथ नक्शा संलग्न नही करने पर,नक्शा तैयार करने हेतु 25/—रू. जमा करवाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की मिसल सं. 5/2001 में उपलब्ध पेकाराम के आवेदन पत्र के साथ कोई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

नक्शा संलग्न नही है, इसके बावजूद 25/–रू. की राशि जमा नही करवाई गई है तथा मौका निरीक्षण के लिये भी 25/–जमा नही करवाये है। अप्रार्थी सं. 1 ने विक्रय विलेख के 100/–के साथ नक्शा आदि की फीस 60/रू जमा कराई है।

नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितिकरण जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहां वे निम्नानुसार राशि जमा कराये जिन्हे इसके पश्चात् पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा।नियम 157(क)–50 वर्षो से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों हेतु 100/–रू.एवं (ख)इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान् बने पुराने मकानों हेतु 200/–रू.।

तहसीलदार जालोर के पत्र कमांक/राजस्व/2016/1607 दिनांक 7.9.16से श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जालोर को जो जांच–रिपोर्ट भिजवाई है उसमें पेकाराम पुत्र राजाजी के नाम से जारी पट्टा सं.14/5.12.2001 की मौका जांच अनुसार ग्राम साफाडा के खसरा नम्बर 554 रकबा 1.63 हेक्टर ,किस्म गैर मुमकिन पहाड की भूमि मौके पर पाई गई। जबकि अप्रार्थी सं.1–पेकाराम अपने जवाब में उक्त भूमि ,गत खसरा नम्बर 266/1 मी.(नये खसरा नम्बर 555,556 व 557) में होना बताता है जो गलत है। इस प्रकार अप्रार्थी सं.1 को जारी पट्टा सं.14/19.10.2001 में वर्णित भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड है जिस पर ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नही है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी सं.1–पेकाराम के नाम जारी पट्टा सं. 14/5.12.2001 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

24/6/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 24.6.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

24/6/19

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर